


राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2 / बी-304 / 2018 / दिनांक:—

आदेश


श्री भीखाराम, नर्स श्रेणी द्वितीय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांथू (जालौर) को अपना नाम राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 (5) में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में भीखाराम के स्थान पर भीखसिंह राजपुरोहित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2 / बी-304 / 2018 / 182 दिनांक:—06/02/2018

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. आदेश / रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।